

(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली
इजलास

प्रकरण संख्या:-406/1993

पीठासीन अधिकारी :-हेमराज गुर्जर (आरएएस)

दायर दिनांक:-18.08.1993

जीसीएमएस नं. 2023/572

1. कपूरचन्द उम्र 45 साल पुत्र रतनलाल जाति महाजन जैन पल्लीवाल (मृतक)
 - 1/1. विजय कुमार उम्र 35 साल
 - 1/2. संदीप उर्फ सन्जू उम्र 30 साल
 - 1/3. अजयकुमार उर्फ पिन्दू आयु 28 साल
 - 1/4. प्रदीप उर्फ बबलू आयु 25 साल
 - 1/5. मु. शारदा देवी आयु 35 साल
 - 1/6. मु. गुडडी आयु 24 साल
 - 1/7. मु. मालती उर्फ लाडो आयु 20 साल
 - 1/8. मु. शान्ति बेवा कपूरचन्द आयु 58 साल
2. मिट्ठनलाल आयु 40 साल पि. रतनलाल जाति-महाजन जैन पल्लीवाल
3. प्रकाशचन्द उम्र 32 साल नि.-खेडी हैवत, तहसील- हिण्डौन
4. जगदीश प्रसाद उम्र 22 साल पुत्र श्री त्रिद्विचन्द जैन पल्लीवाल निवासी खेडी हैवत तहसील हिण्डौन

पुत्र/पुत्रीगण स्व. कपूरचन्द
जाति-पल्लीवाल जैन
निवासी-खेडी हैवत
तहसील-हिण्डौनसिटी
जिल-करौली

-----वादीगण

बनाम

1. सरवती उम्र 42 साल बेवा नत्थी जाति लुहार निवासी-खेडी हैवत
2. श्रीमती उम्र 28 साल बेवा गोपाल जाति लुहार तहसील-हिण्डौनसिटी
3. श्वरंजी उम्र 48 साल पुत्र कुंदन जाति लुहार जिला-करौली (राजस्थान)
4. अशोक उम्र 22 साल पुत्र नत्थी जाति लुहार
5. गिराज उम्र 42 साल पुत्र बच्चीलाल जाति जाट
6. सरवती उम्र 38 साल पुत्री गिराज जाति जाट
7. हजारी उम्र 48 साल पिसरान सोहन जाति महाजन निवासी खेडी हैवत
8. हरदेव उम्र 45 साल तहसील हिण्डौनसिटी
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार हिण्डौन तरतीवी प्रतिवादी

-----प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक एव हुक्मइम्तनाई दवामी

प्रकरण संख्या:-406/1993

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री रिद्वीचन्द जैन एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री शांतिलाल करसोलिया एडवोकेटमिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से सीमा संबंधी विवाद हो तो संयुक्त रूप से तहसीलदार सूरोठ के यहा पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 के तहत आवेदन आराजी साविक खसरा न0 1028 एवं 1032 से नवीन बने खसरा नम्बरों का नियमानुसार फीस जमा कराकर सीमाज्ञान करावे। सीमाज्ञान होने के बाद वादी एवं प्रतिवादीगण अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहेंगें प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता कि सीमाज्ञान होने पर वादीगण की आराजी खसरा न0 1028 के हाल खसरा नम्बर वाके ग्राम खेडी हैवत तहसील सूरोठ जिला करौली में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नहीं करे। वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। पक्षकार अपना-अपना खर्चा बहन करेगे। बसबत मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज तारीख 23.04.2024 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली